न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लुणी

पीठासीन अधिकारी :– गोपाल परिहार RAS

प्रार्थना पत्र संख्या 25 / 2018

प्रार्थी :–

बाबुराम पुत्र भानाराम जाति जाट निवासी ग्राम बड़लिया तहसील लुणी जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

01. चैनाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट
02. श्यामसिंह पुत्र वेददान जाति चारण
03. भंवरलाल पुत्र हिम्मताराम
04. धोकलराम पुत्र हिम्मताराम
05. श्रीमति जमना पत्नी हिम्मताराम
06. श्रीमति सुजी पत्नी खेताराम
07. मांगीलाल पुत्र खेताराम
08. गुणेश पुत्र खेताराम
09. अचलाराम पुत्र खेताराम
10. गंगाराम पुत्र खेतारामसभी जाति जाट निवासी ग्राम बड़लिया तहसील लुणी जिला जोधपुर
11. श्रीमति गौ पुत्री खेताराम पत्नी जोराराम जाति जाट निवासी ग्राम भाण्डु खुर्द तहसील लुणी जिला जोधपुर
12. केसाराम पुत्र पुरखाराम के कायम मुकाम
    - 12 / 01 अनोपाराम पुत्र केसाराम
    - 12 / 02 डुंगरराम पुत्र किसाराम
    - 12 / 03 बगताराम पुत्र केसाराम
    - 12 / 04 नरपतराम पुत्र केसाराम
    - 12 / 05 श्रीमति छोटीदेवी पुत्री किसाराम
    - 12 / 06 श्रीमति दौली पत्नी केसाराम
13. श्रीमति पेपी पत्नी शिवाराम
14. भल्लाराम पुत्र शिवाराम

उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

15. प्रभूराम पुत्र शिपाराम

16. सांवलराम पुत्र शिपाराम

जातियान जाट निवासीयान ग्राम बड़लिया तहसील लुणी जिला जोधपुर

17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लुणी जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –

1. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री रूगाराम चौधरी उपस्थित ।
2. अप्रार्थी संख्या एक से 17 की और से कोई अधिवक्ता उपस्थित नही।

आदेश दिनांक 6/6/2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 28 रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा ग्राम करणीनगर पटवार हल्का बड़लिया में आया हुआ हैं प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 27 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 26/1 रकबा 14 बीघा, खसरा संया 25रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा मे से प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रास्ता विद्यमान है लेकिन राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार 20 फुट चौडाई मे रास्ता दिलाया जावे।

प्रार्थी कर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार लुणी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थीगण की समुचित तामिल होने के बावजुद अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति दर्ज की गई। अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में प्रारिंना पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 28 रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा है। प्रार्थी के खेत मे आने जाने के लिए खसरा संख्या 25 .26/1 एवं 27 में से एक एकमात्र रास्ता हैं। जो मौका रिपोर्ट में स्पष्ट दर्शाया गया है। प्राथर्री के अधिवकता ने निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं मौका दिपोर्ट मे दर्शाए गये बिन्दु **A** से **B** भाग तक रास्स्ता घोषित किया जावें। पत्रावली एवं भू अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट का अवोकन किया एवं प्रार्थी के

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

अधिवक्ता की अहस पर मनन किया गया। भू अभिलेख निरीक्षक भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 01.07.2019 को मौका रिपोर्ट मौतबिरान के रूबरू तैयार की गई। भू–अभिलेख निरीक्षक ने मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया कि खसरा संख्या 25 कटाणी मार्ग पर स्थित हैं खसरा संख्या 25, 26/1 एवं 27 की दक्षिणी माठ से होते हुए खसरा संख्या 28 तक आने जाने का रास्ता जो नजरी नक्शा में लाल स्याही में A से B दर्शाया गया हैं जिसका रकबा खसरा संख्या 25 रकबा 00.08.05 बीघा खसरा संख्या 26/1 रकबा 00.19.बीघा खसरा संख्या 227 रकबा 00.05 बीघा कुल रकबा 01.12.05 बीघा है। कल ु रास्ता का क्षेत्रफल 01.12.05 बीघा बनता है। जो कि एकमात्र एवं लघुतम मार्ग है। जो दिया जाना उचित है। प्रस्तावित रास्ता 40–50 वर्षो चल रहा है। वर्तमान में चालु है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है यदि प्रार्थी वर्तमान डी एल सी दर से दुगुनी राशि अप्रार्थीगण को अदा करे या राजकोष में जमा करावे तो प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 28 भूमि में आने जाने के लिए मौका रिपोर्ट दिनांक 01.07.2019 में वर्णित अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम करणीनगर खेत खसरा संख्या 25, 26/1 एवं 27 मेसे 15 फीट चोडा रास्ता मौका रिपोर्ट में दर्शाए गये A से B भाग को रास्ता घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता हैं कि राजस्व रेकर्ड में एवं राजस्व नक्शा में उक्तानुसार इन्द्राज एवं तरमीम करे। राजकोष में जमा राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को उनके हिस्से अनुसार भुगतान करें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार झंवर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गोपाल परिहार **RAS**)
सहायक कलक्टर एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

आदेश आज दिनांक 6/6/2022 को हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक ~~कलक्टर एव~~ उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी